विविध संख्या

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :—17 / 17
दायरा दिनांक :—27 / 03 / 17
निर्णय दिनांक :— 27.9.22

उनवान

1. भंवरसिंह पुत्र मौतीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला बारां

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. सरदारसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहपुर तहसील बारां

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टि0 ए0
निर्णय दिनांक :— 27.9.22

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री महेश गौतम एड0— वादी
2. श्री असलम भारती एड0—प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। ग्राम फतेहपुर तह0 बारां में खाता सं. नया 75 पुराना 71 में आराजी खसरा नबंर 498 रकबा 0.34 है0 है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किशनबाई उर्फ केसरबाई बेवा मौतीसिंह राजपूत सा0 फतेहपुर के नाम दर्ज हो रही है। खातेदारा केसरबाई उर्फ किशनबाई का देहावसान दिनांक 6.6.2016 को हो चुकी है। किशनबाई उर्फ केसरबाई अपने अन्तिम समय में प्रार्थी जो कि किशनबाई का पुत्र है। के पास ही रहती थी। चूंकि वह लकवाग्रस्त थी और उसकी अवेर सवेर सार संभाल हारी बीमारी व दैनिक कियाकलाप प्रार्थी व उसकी पत्नि सुमित्रा के द्वारा ही किया जाता था तथा खातेदारा किशनबाई की आराजी खसरा नंबर 498 रकबा 0.34 है0 की सार संभाल एवं काश्त व्यवस्था भी प्रार्थी के द्वारा ही की जा रही थी। खातेदारा केसरबाई के जीवनकाल में उसके द्वारा अपनी उक्त आराजी वर्णित मद नंबर 2 प्रार्थना पत्र जो कि केसरबाई के स्व अर्जित थी, के संबंध में एक पंजीकृत वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 15.10.2015 को तहरीर करवा दी थी। यह वसीयत केसरबाई की स्वतन्त्र अन्तिम वसीयत थी और उक्त वसीयत के आरधार पर प्रार्थी खातेदारा केसरबाई की आराजी का एकमात्र वारिस है एवं उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा केसरबाई की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का कानून खातेदार घोषित होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत वसीयत ता0 10.10.2015 को तहसीलदार बारां के यहां एक आवेदन दि0 6.3.2017 के साथ प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

इन्तकाल दर्ज कर खातेदार स्वीकार करने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थी की कोई सुनवायी नहीं की गई। जबकि प्रार्थी पंजीकृत वसीयत दि0 15.10.15 के आधार पर केसरबाई की आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है।

आराजी का इन्तकाल प्रार्थी के पक्ष में न खुलने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी को सुविधापूर्वक ना तो विकसित कर पा रहा है ना बैंक से ऋण प्राप्त कर पा रहा है ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ, मुआवजा आदि प्राप्त कर पा रहा है। अप्रार्थी कम 2 जो प्रार्थी का सगा भाई है आराजी के कब्जे काश्त को लेकर आये दिन गाली गलोच, लडाई झगडे एवं परेशान करता है व प्रार्थी के विरूद्ध झूठी रिर्पोट थाने में दर्ज करवा देता है। लगभग 6–7 दिन पूर्व भी अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिससे प्रार्थी को काफी असुविधाओं एवं मानसिक दौर से गुजरना पड रहा है अतः प्रार्थी अप्रार्थी कम 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी नं0 2 अप्रार्थी कम 1 से मिलकर गलत तथ्यों के आधार पर आराजी का इन्तकाल अपने पक्ष में खुलवाने का विधि विरूद्ध प्रयास कर रहा है। जिसमें अप्रार्थी नं. 1 के कियाकलाप भी संदिग्ध है अतः अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत ना खोले जाने इन्तकाल अन्य व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, यदि प्रतिपक्षी अपने अनुचित अनाधिकृत एवं अवैधानिक उद्देश्यों में सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद करना व्यर्थ हो जावेगा तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पडेगा जिससे प्रार्थी को भारी अपरिमित क्षति होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी कम को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल वसीतनामा दिनांक 15.10.15 मृत्यु प्रमाण पत्र किशनीबाई उर्फ केसरबाई दिनांक 6.6.16, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड भवरसिंह, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072–75 खाता सं. 75 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आरजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बारां में स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किशनबाई उर्फ केसरबाई बेवा मौतीसिंह राजपूत के खातेदारी में दर्ज है। खातेदार किशनबाई उर्फ केसरबाई का दिनांक 6.6.2016 को देहान्त हो गया। मृतक खातेदार प्रार्थी के पास रहती थी। प्रार्थी मृतक खातेदार का पुत्र है मृतक खातेदार किशनबाई उर्फ केसरबाईके अवेर सवेर, हारी बिमारी व दैनिक कियाकलाप प्रार्थी व उसकी पत्नी सुमित्रा के द्वारा किया जाता था। खातेदार केसरबाई द्वारा अपने जीवनकाल में उसके द्वारा अपनी आराजी का प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 15.10.15 को एक वसीयत पंजीकृत करवा दी थी। रजि0 वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामा0 नहीं खोलने पर मान0 न्यायालय में घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। रजि0 वसीयत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा मृतक से उनकी बीमार अवस्था में एक फर्जी वसीयत तैयार करवा ली है उक्त वसीयत के आरधार पर जबरन कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

करने पर आमादा है। फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त आराजी में कोई हक हासिल नहीं है। विवादित आरजी पैत्रक भूमि है पैत्रक भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि से सम्बधिंत एक वाद पत्र 161/14 सरदारसिंह बनाम किशनबाई विचाराधीन है प्रार्थी द्वारा नया वादपत्र पेश किया है नया वाद पत्र व प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी के लिए दावा पेश किया है वसीयत को सुननु का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल वसीयतनामा दिनांक 15.10.15 के अनुसार किशनबाई उर्फ केसरबाई पत्नि मौतीसिंह जाति राजपूत निवासी फतेहपुर द्वारा ख0 नं0 498 रकबा 1.14 है0 में से 0.08 है0 का पूर्व बेचान के वाद शेष 0.34 है0 भूमि की वसीयत मेरे पुत्र भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत के नाम करना पाया गया। नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 1.8.2016 के अनुसार किशनबाई उर्फ केसरबाई की मृत्यु 6.6.2016 को होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2072–75 खाता सं. 75 के अनुसार ख0 नं0 498 रकबा 0.34 है0 भूमि किशनबाई पत्नी मोतीसिंह जाति राजपूत के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी किशनबाई के खातेदारी में थी। जिसकी वसीयत अपने पुत्र भवंरसिंह के नाम करवाई गई। वसीयत के आधार पर प्रार्थी स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी कम 2 को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तह0 बारां के ख0 नं0 498 रकबा 0.34 है0 पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner